

कल

FORM No. III

Al.
Crim

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत

उप तहसीलदार मुकाम बीकानेर

सरकार

बनाम

रहीराम s/o भुराराम

किस्म मुकदमा एल आर एक्ट 1956 की धारा 91

प्रकरण सं. 07 सन् 17

~~फसल खरीफ/रबी~~ सम्वत् 2079

28.12.18

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत भू राजस्व अखरे रूप्ये 0.13 का पचास गुणा तावान अर्थात रू0 07/15 (पूर्णांक में) मात्र मात्र अखरे रूप्ये रहीराम मात्र की शास्ती लगायी जाती है। पटवारी हल्का रहीराम वसूल करें एवं तहसील राजस्व लेखाकार अपने अभिलेखों में उक्त रकम की मांग कायम करें।

निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। बाद वसूली पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

जयदीप
(जयदीप मित्तल)
पीठासीन अधिकारी एवं
उप तहसीलदार बीकानेर